(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14 (25)/LA-2005 / LJ/06/2589

Dated:27th April, 2006

NOTIFICATION

No.F.14 (25)/LA-2005/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 24th April, 2006 and is hereby published for general information:-

THE WAKF (DELHI AMENDMENT) ACT, 2006 (DELHI ACT 3 OF 2006)

24th April, 2006

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 8th March, 2006.

An Act to amend the Wakf Act, 1995 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the
Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows: -

- 1. Short title, extent and commencement. (1) This Act may be called the Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. Insertion of new section 31A. In the Wakf Act. 1995 (43 of 1995), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after section 31, the following section shall be inserted, namely: -

DVS

"31A Prevention of disqualification for membership of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. – It is hereby declared that the offices of the Chairperson or members of the Board constituted for Union territory of Delhi shall not be disqualified and shall be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi."

(Veena Birbal)

Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली

सं०एफ.14(25)एल०ए०-2005-एल०जे०/06/2589

दिनांक 27 अप्रैल,2006

अधिसूचना

सं०एफ.14(25)एल०ए०-2005 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 24 अप्रैल,2006 को राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हो गई है तथा उसे एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का दिल्ली अधिनियम, 3)

24 अप्रैल,2006

(8 मार्च, 2006 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथापारित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। इसे भारतीय गणतंत्र के सतावनवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-**(1) यह अधिनियम वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।
 - (2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा।
 - (3) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. नयी धारा 31 का समिविष्ट करना.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) में धारा 31 के पश्चात, निम्नलिखित को समिविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"31 क.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की सदस्यता हेतु अयोग्यता का निवारण.-एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिए अयोग्य नहीं ठहरायां जाएगा और न ही कभी अयोग्य ठहराया माना जाएगा।"

(वीना बीरबल)

सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)